

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 394] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 7, 1981/अग्रहायण 16, 1903
No. 394 : NEW DELHI, MONDAY, DEC. 7, 1981/AGRAHAYANA 16, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन में रूप में
रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 1981

सा० का० नि० 641(अ) :—21 नवम्बर, 1981 को राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया
निम्नलिखित आदेश, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

मणिपुर और त्रिपुरा राज्य के राज्यपाल (भूत और विशेषाधिकार) संशोधन आदेश,
1981

राष्ट्रपति, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 का 81) की धारा 48
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मणिपुर और त्रिपुरा राज्य राज्यपाल (भूत और
विशेषाधिकार) आदेश, 1972 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करते हैं; अर्थात् :—

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम मणिपुर और त्रिपुरा राज्य राज्यपाल (भूत और विशेषा-
धिकार) संशोधन आदेश, 1981 है।

2. मणिपुर और त्रिपुरा राज्य राज्यपाल (भत्ते और विशेषाधिकार) आदेश, 1972 के (जिसे इसे इसके पश्चात् मूल आदेश कहा गया है) पैरा 4 के उप-पैरा (2) में मद (iii) के पश्चात् निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(iii) 1,600 रुपये का उपस्कर भत्ता”

3. मूल आदेश में पैरा 7 के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“7क(1) राज्यपाल अपनी छुट्टी की अवधि के दौरान अपने वेतन के ब्रदने केवल 2,750 रुपये प्रति वर्ष की दर से छुट्टी भत्ते का हकदार होगा।

(2) कार्यकारी राज्यपाल किसी छुट्टी भत्ते का हकदार नहीं होगा।”

4. मूल आदेश की पहली अनुसूची में, मणिपुर राज्य से संबंधित प्रविष्टियों में, स्तंभ (3) की प्रविष्टि के स्थान पर “40,000 रुपये” प्रविष्टि रखी जाएगी।

5. मूल आदेश की दूसरी अनुसूची में, मणिपुर राज्य से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर 1 अप्रैल, 1981 से निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएगी, अर्थात् :—

1	2	3	4	5	6	7	8
“मणिपुर	12,000	1,11,000	3,000	6,000	48,000	1,30,000	3,10,000

6. मूल आदेश की तीसरी अनुसूची में, “राज्यपाल के शासकीय आवास की वास्तव अधिकतम वार्षिक राशि—अनुरक्षण और मरम्मत” शीर्षक के नीचे, मणिपुर राज्य से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर 1 अप्रैल, 1981 से निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएगी, अर्थात् :—

1	2	3	4	5	6	7	8
“मणिपुर	15,000	60,000	48,000	7,000	2,000	1,30,000	2,62,000

मन्० सञ्चार देहली

राष्ट्रपति

[सं० 2/47/80-स्टेड्स]

मन्त्री मित्र, मेवता, संयुक्त मन्त्रि

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th December, 1981

G.S.R. 641(E).—The following Order made by the President on 21st November 1981 is published for general information:—

THE GOVERNORS OF THE STATES OF MANIPUR AND TRIPURA (ALLOWANCES AND PRIVILEGES) AMENDMENT ORDER, 1981

In exercise of the powers conferred by section 48 of the North-Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 (81 of 1971), the President hereby makes the following

Order to amend the Governors of the States of Manipur and Tripura (Allowances and Privileges) Order, 1972, namely :—

1. This Order may be called the Governors of the States of Manipur and Tripura (Allowances and Privileges) Amendment Order, 1981.

2. In paragraph 4 of the Governors of the States of Manipur and Tripura (Allowances and Privileges) Order, 1972 (hereinafter referred to as the principal order), in sub-paragraph (2), after item (ii), the following item shall be inserted, namely:—

“(iii) an Equipment Allowance of Rs. 1,600/-”.

3. In the principal Order, after paragraph 7, the following paragraph shall be inserted, namely :—

“7A(1) The Governor shall, during the period of his leave, be entitled only to a leave allowance at the rate of Rs. 2,750/- per mensem in lieu of his salary.

(2) An acting Governor shall not be entitled to any leave allowance”.

4. In the First Schedule to the Principal Order, in the entries relating to the State of Manipur, for the entry in column (3), the entry “Rs. 40,000/-” shall be substituted.

5. In the Second Schedule to the principal Order, with effect from the 1st day of April, 1981, for the entries relating to the State of Manipur, the following entries shall be substituted, namely :—

1	2	3	4	5	6	7	8
“Ma- nipur	12,000	1,11,000	3,000	6,000	43,000	1,30,000	3,10,000”.

6. In the Third Schedule to the principal Order, under the heading “Maximum yearly amounts in respect of official residence of Governors—Maintenance and repairs”, with effect from the 1st day of April, 1981, for the entries relating to the State of Manipur, the following entries shall be substituted, namely :—

1	2	3	4	5	6	7	8
“Ma- nipur	15,000	60,000	48,000	7,000	2,000	1,30,000	2,62,000”.

N. SANJIVA REDDY
PRESIDENT

[No. 2/47/80-Stats]

A. S. MEHTA, Jt. Secy.

